

यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, मुंबई-400 021

परिपत्र पत्र क्र.:6805

18 मई, 2018

प्रति: सभी शाखाओं/कार्यालयों

स्टाफ कल्याणकारी योजना-वर्ष 2018-19 के लिए बजट का आबंटन

सभी का ध्यान स्टाफ परिपत्र क्र. 4782 दिनांक 01.10.2001 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें स्टाफ सदस्यों के लाभ के लिए कल्याणकारी योजना के शुभारंभ की सूचना विभाग द्वारा दी गई थी. एक निर्धारित समय के लिए, कर्मचारी कल्याण समिति ने नयी योजना जोड़ दी है और स्टाफ कल्याणकारी योजनाओं पर कर्मचारी कल्याण कोष के लिए बजट की उपलब्धता के साथ मौजूदा योजनाओं को संशोधित/परिष्कृत किया गया है.

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पत्र क्र.F.No.14/7/92-IR दिनांक 24/02/2012 के दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे बैंक के लिए स्टाफ कल्याणकारी फंड की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के शुद्ध लाभ रु. 25.00 करोड़ की उच्चतम सीमा के साथ 3% पर स्थायी थी. इसका अर्थ उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर कर्मचारी कल्याण फंड की सहज उपलब्धता, बैंक के शुद्ध लाभ के अधीन होगी. चूंकि बैंक ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए शुद्ध हानि की जानकारी दी है तथा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारी कल्याणकारी फंड के तहत कोई राशि उपलब्ध नहीं है. तदनुसार, दिनांक 01.04.2018 से यूनियन परिवार में विभिन्न कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं को रोक दिया गया है.


इस योजना के अंतर्गत कल्याणकारी प्रक्रिया के लाभ को ध्यान में रखते हुए, जो बैंक के पूरे स्टाफ द्वारा उपार्जित होता है, प्रबंधन ने इस मामले को बोर्ड के समक्ष रखा, तथा विशेष केस के रूप में, बोर्ड ने इस योजना के लिए रु. 10.00 करोड़ आबंटित किया है तथा बैंक को व्यय हेतु प्रत्यक्ष डेबिट की अनुमति दी है.

आबंटित बजट में व्यय को शामिल करने के लिए, निम्नलिखित में किए गए परिवर्तनों को छोड़कर कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है.

- कैंटीन सब्सिडी को 62.5% तक कम कर दिया गया है.
- हेल्थ चेक अप के लिए व्यय के भुगतान पर व्यय को अगली समीक्षा तक रोक कर रखा गया है.
- स्कूल फीस के भुगतान पर व्यय को अगली समीक्षा तक रोक कर रखा गया है.

यदि बैंक के प्रदर्शन में बदलाव आता है तो स्टाफ के कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं की समीक्षा सितंबर 2018 के बाद की जा सकती है.

कृपया उपर्युक्त को ध्यानपूर्वक नोट करें एवं अनुपालन सुनिश्चित करें.


महाप्रबंधक(मासं)
४८

Staff Circular No.6805

May 18th 2018

TO: ALL BRANCHES/OFFICES

STAFF WELFARE SCHEMES-Allocation of Budget for 2018-19.

Attention is invited to Staff Circular No. 4782 dated 01.10.2001 wherein the department had communicated launching of Welfare Schemes for the benefit of Staff members. Over a period of time, Staff Welfare Committee added new schemes and existing schemes were modified /enhanced with the availability of Budget for Staff Welfare Fund to be spent on Staff Welfare Schemes.

As per Government of India, Ministry of Finance, guidelines vide their letter No.F.No.14/7/92-IR dated 24/02/2012 the maximum ceiling of Staff Welfare Funds for our Bank is fixed at 3% of Net profit of the previous year with a cap of Rs.25.00 Crores. It means automatic availability of Staff Welfare Funds within the above ceiling shall be subject to bank earning net profit. Since Bank has reported Net Loss for the Financial Year 2017-18, there is no amount available under Staff Welfare Fund for the Financial Year 2018-19. Accordingly various Staff Welfare Schemes were put on hold in Union Parivar w.e.f.01.04.2018.


Keeping in view of the benefit of welfare measures under the schemes which accrue to the entire staff across the Bank, the Management has taken up the matter with the Board and as a special case, Board has approved allocation of Rs.10.00 crore budget for the Schemes and permitted direct debit towards Bank's expenditure.

In order to contain the expenditure within the allocated Budget, it has been decided to continue all the schemes related to Welfare of Staff, except with the changes in the following.

- The Canteen Subsidy has been reduced by 62.5%.
- Expenditure on reimbursement of expenses for health check up has been put on hold till further review.
- Expenditure on reimbursement of School fees has been put on hold till further review.

All the Schemes related to welfare of Staff may be reviewed after September 2018, if there is a turnaround in the performance of the Bank

Kindly take a careful note of the above and ensure compliance.


GENERAL MANAGER (HR)
